झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध)—20 / 2022

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
गढ़वा।

राँची, दिनांकः—

विषयः— **श्रीमती पनवा देवी पति गिरधारी भुईंया का परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंगः— आपका ज्ञापांक—299 दिनांक—22.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से अभिलेख संख्या—05 / 2021—22 पनवा देवी बनाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा में पारित आदेश की प्रति प्राप्त है। परिवादी द्वारा मई—2021 से फरवरी—2022 तक कुल 10 माह का राशन नहीं दिए जाने की शिकायत की गई है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त आदेश में उल्लेखित है कि परिवादी द्वारा उपस्थित होकर 10 माह के राशन मिलने का आवेदन दिया गया है। यह भी कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक—243 दिनांक—22.03.2022 द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है।

परिवाद में उल्लेखित राशन कार्ड के उठाव से संबंधित ऑनलाईन प्रविष्टि को आहार पोर्टल पर देखा गया। पोर्टल के प्रविष्टि के अनुसार जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर—2021 में उठाव नहीं किया गया हैं जबकि मई, जून, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में उठाव किए जाने का entry आहार पोर्टल मे पाया गया। परिवादी द्वारा मई—2021 से राशन प्राप्त नहीं होने का उल्लेख परिवाद में किया गया था, तब मई, जून, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में उठाव का entry कैसे हुआ? क्या डीलर द्वारा किरोसिन तेल इत्यादि के आपूर्ति के समय परिवादी का अँगूठा निशान e-pos में लगाकर खाद्यान्न की आपूर्ति भी दिखाई गई? आपके आदेश में परिवादी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी के बकाया राशन मिल जाने का उल्लेख करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गई है। इस स्थिति में यह भी प्रश्न उठता है कि परिवादी को उसके बकाया खाद्यान्न को कैसे और कहाँ से उपलब्ध कराया गया? ज्ञातव्य हो कि वर्तमान प्रावधानानुसार चालू माह एवं पूर्ववर्ती माह के खाद्यान्न का ही वितरण लाभुकों को किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन 15.06.2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / —
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :— रा0खा0आ0 (विविध) 20 / 2022 – 496 राँची, दिनांकः— 03.06.2022

प्रतिलिपिः—सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

3/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्डराज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx224

पता—झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261